न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट अरांई

राजस्व वाद संख्या 372/2020 ओमप्रकाश बनाम सरकार

प्रशासन गांवों के संग अभियान-20..21 कोर्ट कैम्प मोगाहीत दिनांक 01/11/2021

आदेश

पत्रावली राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-1) विभाग के आदेश क्रमांक प.12(2) राज1/2020 दिनांक 29.09.2021 की पालना में नियत तिथि से पूर्व तलब की आकर आज दिनांक 01.11.2021 को कोर्ट कैम्प मोगाहीत में पेश हुई। वादी उप०/ उक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा ग्राम मोगाहीत स्थित कृषि भूमि खाता सं. 322 खसरा सं. 1002/604 में अपने पिता का नाम "रामरख पुत्र लाडू हिस्सा पूर्ण जाति बलाई" के स्थान पर "रामरीख पुत्र लाडू जाति कामड" करवाने बाबत पेश किया। कोर्ट कैम्प मोगाहीत में सम्बन्धित पटवारी भू.अभि. व पैरोकार सरकार रिपोर्ट मुजब ग्राम मोगाहीत में रामरख पुत्र लाडू नाम का कोई व्यक्ति नहीं होना पाया गया। मजमे आम को सुना गया। प्रार्थी ने अपने प्रा० पत्र के समर्थन में जाति प्रमाण पत्र, मोगाहीत पंचायत अनापत्ति पत्र ग्राम सेवा सहकारी समिति रसीद पेश की। अतः संलग्न दस्तावेजात, पैरोकार सरकार रिपोर्ट व उपस्थित गवाहान व मजमे आम में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार अरांई को ग्राम मोगाहीत स्थित कृषि भूमि खाता सं. 322 (जमाबंदी 2073-2076) व खसरा सं. 1002/604 में रामरख पुत्र लाडू जाति बलाई के स्थान पर "रामरीख पुत्र लाडू जाति कामड" दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। प्रा० पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.01.16 16:22:27 IST
Reason: SelfAttested